न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—16 / 2021 (2021 / 30) प्रार्थना पत्र

अनवान

1. गीतादेवी पत्नि सुवानाथ कालबेलिया निवासी अर्जुनगढ़ तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीया

बनाम

1. छोगा पिता गोमा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. पारस देवी पत्नि लादु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भैरू पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. लाडु पिता मांगु कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. मगनीराम पिता प्यारचन्द रेगर निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
6. चान्दु पिता चुन्नीलाल हरिजन निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
7. सन्तोकी पत्नि मोहनलाल कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
8. सुवा पिता गोदा कुमावत निवासी थला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद —

प्रार्थीगण अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक—22.07.2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है ग्राम थला पटवार हल्का थला तहसील रायुपर के बेरून हल्का आबादी मे प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 1845 / 697 रकबा 0.21 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.21 है0 भुमि खाता संख्या 105 पर दर्ज रेकार्ड है। प्रमाण में नकल जमाबंदी मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की हैं। प्रार्थीया की उक्त आराजियात के चारों तरफ सीमा के मुश्तकील निशानात नही होने से प्रार्थीया को काश्त करने, काश्त लाभ प्राप्त करने, घास आदि काटने व मवेशी चराने में दरम्यान पक्षकारान आपस मे सीमा सम्बन्धी विवाद बना रहता है जिससे प्रार्थीया को अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना आवश्यक हो गया है। प्रार्थीया ने विपक्षीगण को कई मर्तबा को उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहा लेकिन विपक्षीगण हरबार टालमबाजी का जवाब देते रहे है। प्रार्थीया ने दिनांक 28.09.2020 को विपक्षीगण को अन्तिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इन्कार हो गये, जिससे प्रार्थीया को प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु विवश होना पड़ा है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 08.02.2021 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की

Kg, 111,128

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested

पालना मे विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 5 लगायत 7 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 8 के विरूद्व प्रार्थीया अधिवक्ता कोई कार्यवही नही चाहते है। विपक्षी संख्या 1 से 4 की ओर से जवाब में अकंन किया कि ग्राम थला कि साबिक आराजी संख्या 374/1झ रकबा 10 बीघा 7 बिस्वा के साबिक नक्शे अनुसार दुरस्ती बाबत् प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया जो बाद सुनवाई दिनांक 25.02.2021 को स्वीकार हुआ जिसमें आराजी संख्या 1845/697 रकबा 0.21 है0 भूमि पर विपक्षी का कब्जा पाया जाने से उक्त वर्णित आराजी विपक्षी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया गया प्रमाण में निर्णय की प्रति पेश की है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर अपास्त करने का निवेदन किया गया।

मैने पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि आराजी संख्या 1845/697 की पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया लेकिन उक्त आराजी पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.02.2021 से विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम पर दर्ज करने का आदेश होने से प्रार्थीया के नाम आराजी संख्या 702 मे से 0.21 है0 भूमि दी गई है प्रार्थीया चाहे तो न्यायालय के आदेशानुसार आराजी संख्या 702 रकबा 0.21 है0 की पत्थरगढ़ी कराने में स्वतंत्र है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए प्रार्थना पत्र प्रार्थीया स्वीकार किये जाने योग्य नही है।

आदेश

अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 विधि सम्मत नही होने से अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22/7/2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी रायपुर (भीलवाडा)

Kg, 111,128

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.09.08 13:20:34 IST
Reason: SelfAttested